RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक २३] गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३-१९, २०१७/आषाढ २२-२८, शके १९३९ [पृष्ठे २५
किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४, सन् २०१६.— महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, सन् २०१६.— महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१६. . .	३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, सन् २०१६.— महाराष्ट्र विवक्षित बकायों का निपटान अधिनियम, २०१६ . .	१३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन् २०१६.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	२०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०१६.— महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०१६.	२२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९, सन् २०१६.— महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	२३

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2016.

THE WATER CONSERVATION CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १३ अप्रैल, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA WATER CONSERVATION CORPORATION ACT, 2000.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक १६ अप्रैल २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम अधिनियम, २००० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम अधिनियम, २००० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :— सन् २००१ का ३।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् २००१ का महा. ३ की धारा २५ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम अधिनियम, २००० की धारा २५ की, उप-धारा (१) में,— सन् २००१ का महा. ३।

(क) " २००० करोड़ रुपयों की राशि " शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान में, " १०,००० करोड़ रुपयों की राशि " शब्द, अक्षर और अंक रखे जायेंगे ;

(ख) " पाँच वर्षों की अवधि " शब्दों के स्थान में, " पच्चीस वर्षों की अवधि " शब्द रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2016.

THE MAHARASHTRA TAX LAWS (LEVY, AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ अप्रैल, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
सचिव, एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ अप्रैल २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) धाराएँ ५, ६ और ८, १ अप्रैल २०१६ से प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धाराएँ ९, १३, १६ और १७, १ मई २०१६ से प्रवृत्त होंगी ;

(ग) धाराएँ २, ३ धारा १० की उप-धारा (१) तथा धारा १५ की उप-धारा (२) ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगी जैसा कि राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, नियत करें और विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत किए जा सकेंगे ;

(घ) शेष धाराएँ, **राजपत्र** में इस अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होंगी।

अध्याय दो

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५८ का ६५ की धारा ३ में संशोधन।

२. मोटर वाहन कर अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, " मोटर वाहन कर अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ की, उप-धारा (१ग) के खण्ड (ग) में, " किसी बात के होते हुए भी " शब्दों से प्रारंभ होने वाले और " तिगुने दर पर " शब्दों से समाप्त होने वाले प्रभाग के स्थान में, निम्न रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९५८ का ६५।

" खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, द्वितीय अनुसूची के भाग **एक** या भाग **दो** में विनिर्दिष्ट एक मुश्त कर,—

(एक) किसी व्यक्तिगत, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी लोक न्यास, किसी विश्वविद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था के न होने वाले किसी व्यक्ति द्वारा राज्य में उपयोगी या उपयोग के लिए रखी गई किसी मोटर साइकिल या तिपहिया साइकिल पर, दुगुने दर पर ;

(दो) आयातित सभी मोटर साइकिल और तिपाहिया साइकिल पर दुगुने दर पर उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी। "।

सन् १९५८ का ६५ की द्वितीय अनुसूची में संशोधन।

३. मोटर वाहन कर अधिनियम से संलग्न **द्वितीय अनुसूची** के **भाग एक** की प्रविष्टि १ के स्थान में, निम्न प्रविष्टि, रखी जाएगी, अर्थात् :—

" १. जिनका उपयोग ट्रेलर या पार्श्वगाडी चलाने के लिए किया जाता है समेत मोटर साइकिल और तिपहिया साइकिल,—

(क) जिस इंजिन की क्षमता ९९ सी सी तक है ;	न्यूनतम १५०० रुपयों के अध्यधीन वाहन की लागत के ८ प्रतिशत ;
(ख) जिस इंजिन की क्षमता ९९ सी सी के उपर और २९९ सी सी तक है ;	न्यूनतम १५०० रुपयों के अध्यधीन वाहन की लागत के ९ प्रतिशत ;
(ग) जिस इंजिन की क्षमता २९९ सी सी से अधिक है।	न्यूनतम १५०० रुपयों के अध्यधीन वाहन की लागत के १० प्रतिशत। "।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२ में संशोधन।

सन् १९६२ का महा. ९ की धारा १२ख में संशोधन।

४. महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२, की धारा १२ख उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ९।

" (२) चीनी कारखानों द्वारा सन् २०१५-२०१६ में गन्ने के विक्रय पर देय कर पर छूट दी जायेगी, यदि चीनी कारखाना सन् २०१५-२०१६ में भारत सरकार द्वारा अधिकथित नीति के अनुसार मिल-वार सांकेतिक निर्यात कोटा की हद तक चीनी निर्यात करते है। "।

अध्याय चार

महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में संशोधन।

सन् १९७५ का महा. १६ की धारा ३ में संशोधन।

५. महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५, (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में " वृत्ति कर अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ की, उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. १६।

" (३) उप-धारा (२) के तृतीय परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, १ अप्रैल २०१६ और ३० सितंबर २०१६ के बीच नामांकन के लिए जहाँ आवेदन किया गया है या १ अप्रैल २०१६ को प्रलंबित है तब इस धारा के अधीन कर अदा करने के दायित्व की ऐसी अवधियों के लिए जिनमें वह इस प्रकार का अनामांकन करना शेष रहा है तो १ अप्रैल २०१३ के पूर्व कोई भी अवधि नहीं होगी । "।

सन् १९७५ का महा. १६ की धारा २७क में संशोधन।

६. वृत्ति कर अधिनियम की धारा २७ क के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

सन् १९४९ का ६६। सन् १९६८ का ४७।

" (ज) केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल ऐसे सशस्त्र सदस्यों को जिन्हें केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल अधिनियम, १९४९, प्रयोग में लाता है और सीमा सुरक्षा पुलिस बल ऐसे सशस्त्र सदस्यों को जिन्हें सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, १९६८ राज्य में लागू करती है और सेवा में लाती है। "।

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२।

सन् २००३ का महा. ४।

सन् २००३ का महा. ४ की धारा ६क का निवेशन।

७. महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ की धारा ६ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

सन् २००५ का महा. ९।

महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००२ और तद्धीन बनाए गए नियमों के कतिपय प्रावधानों के लिए आवेदन।

" **६क.** इस अधिनियम के उपबंधों तथा इस निमित्त तद्धीन बनाए गए नियमों, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२, के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, जहाँ तक वे इस अधिनियम के अधीन विवरणी के इलेक्ट्रानिक फाईल करने, कर की इलेक्ट्रानिक अदायगी करने या कोई देय रकम या इलेक्ट्रानिक आवेदन, अपील या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों से संबंधित है तो **यथावश्यक परिवर्तन सहित** इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लागू होगा। "।

अध्याय छह

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन।

सन् २००५ का महा. ९।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८ में संशोधन।

८. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " कहा गया है) की धारा ८ की, उप-धारा (३ग) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

" (३घ) राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उक्त आदेश में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों, अपवादों और निर्बंधनों के अध्यधीन, सूत की लम्बाई और ताना में शामिल मालों में सम्पत्ति के अन्तरण, आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक के प्रभाव से कर की अदायगी से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी। "।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा १० में संशोधन।

९. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की धारा १० की, उप-धारा (९) में " उप-धारा (२) " शब्द, कोष्ठक तथा अंक के पश्चात्, " धारा ५५ के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी " शब्द तथा अंक निविष्ट किए जाएँगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा १६ में संशोधन।

१०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १६ की,—

(१) उप-धारा (३) में, विद्यमान परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु, निष्कर्ष पर यह कि,

(एक) आवेदन पूर्ण नहीं है, या

(दो) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विहित दस्तावेज विभाग के वेबसाईट अर्थात् *www.mahavat.gov.in* (डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एमएएचएव्हीएटी.जीओव्ही.आयएन) पर अपलोड नहीं की गयी है, या

(तीन) ऐसे दस्तावेज आवेदन में अंतर्विष्ट जानकारी से सुसंगत नहीं है या स्पष्ट नहीं हैं, या

(चार) विहित शर्तें पूर्ण नहीं की गई हैं,

विहित प्राधिकरण, सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अस्वीकृति आदेश पारित कर सकती है और विहित रीत्या, तद्नुसार, आवेदक को सूचित करेगी :

परंतु आगे यह कि, यदि आवेदक अस्वीकृति आदेश की सूचना के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अस्वीकृति आदेश में संसूचित सभी असंगतियों का अनुपालन करता है और यदि ऐसे अनुपालन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हुए हैं, तब प्रथम परंतुक के अधीन पूर्वतर अस्वीकृत आवेदन बहाल की जाएगी। तथापि, आवेदक केवल एक बार इस परंतुक के अधीन असंगतियों का अनुपालन करने के लिए पात्र होगा। " ;

(२) उप-धारा (६) में, द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु आगे यह कि, जहाँ आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि, कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने स्वेच्छा से स्वयं को पंजीकृत कर लिया है, पंजीकरण के दिनांक से छह महीने के भीतर कारोबार शुरू नहीं किया है, या

(ख) कपट से पंजीकरण या तथ्यों के मिथ्या निरुपण द्वारा प्राप्त किया है,

आयुक्त, व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, नियमों के अनुसरण में जो दिनांक वह नियत करेगा ऐसे दिनांक से पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा। "।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २० में संशोधन।

११. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २०, की उप-धारा (४) के,—

(१) खण्ड (क) में, " वर्ष की समाप्ति से दस महीनों " शब्दों के स्थान में, " वर्ष के लिए धारा ६१ के अधीन लेखा रिपोर्ट देने के लिए विहित " शब्द रखे जाएँगे ;

(२) परंतुक में, " खण्ड (क) का प्रत्येक या, यथास्थिति ", शब्द, कोष्टक तथा अक्षर अपमार्जित किये जाएँगे ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २३ में संशोधन।

१२. मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की, धारा २३ की,–

(१) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(२क) जहाँ सभी विवरणियाँ धारा २० की उप-धारा (४) के खण्ड (क) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी फाईल करने के लिए अवधि के भीतर किसी वर्ष के लिए पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा १ अप्रैल २०१२ को या के पश्चात् आनेवाली अवधि के लिए फाईल की गई है और यदि इन विवरणियों के अनुसार, कर का भूगतान भी उक्त अवधि के भीतर किया गया है और यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियाँ उचित और पूर्ण है तो वह ऐसी विवरणियों के आधार पर ऐसे ब्यौहारी से देय कर की रकम का निर्धारण कर सकेगा :

परंतु, यदि निर्धारण का ऐसा कोई भी आदेश, जो ऐसे विवरणियों से संबंधित है, वर्ष की समाप्ति से चार वर्षों के भीतर नहीं किया गया है, तब ऐसी विवरणियाँ स्वीकार की गई हैं ऐसा समझा जाएगा। " ;

(२) उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ, निविष्ट की जाएँगी, अर्थात् :—

" (५क) उप-धारा (२), (३), (४), या, यथास्थिति, उप-धारा (५) के अधीन कार्यवाहियों के प्रारंभण के पश्चात्, आयुक्त, ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत या, यथास्थिति, विभाग से उपलब्ध सभी दस्तावेजों या साक्ष्य का विचार करने के पश्चात्, क्रमिक उप-धारा के अधीन निर्धारण आदेश को पारित करने के पूर्व ब्यौहारी को विहित रीत्या, किसी संसूचना द्वारा, कर दायित्व के बारे में अपने अवलोकन भेज सकेगा। ऐसी संसूचना क्रमिक उप-धारा के अधीन निर्धारण के लिए जिसमें आदेश पारित किया जा सकेगा, ऐसे निर्धारण के लिए परिसीमा अवधि के अवसान के दिनांक के पूर्व छह महीनों के भीतर ब्यौहारी को विहित रीत्या, संसूचित करेगा। यदि ब्यौहारी, संसूचना में सभी टिप्पणियों के साथ सहमत हैं और धारा २० की उप-धारा (४) के खण्ड (ग) के अधीन विवरणी या, यथास्थिति, पुनरीक्षित विवरणी फाइल करता हैं और विवरणियों के अनुसार कर तथा लागू ब्याज का भुगतान भी पूरा करता है तब प्रमाणीकरण आदेश इस उप-धारा के अधीन विहित रीत्या, पारित किया जायेगा और निर्धारण कार्यवाहियाँ बंद कर दी गई हैं समझी जाएँगी।

(५ख) उप-धारा (५क) के उपबंध, १ अप्रैल २०१६ को प्रलंबित उप-धारा (२), (३), (४) या, यथास्थिति, (५) के अधीन निर्धारण कार्यवाहियों के लिए भी लागू होंगे। " ।

१३. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २६ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ग) में, " अपर आयुक्त " शब्दों के स्थान में, " अपर आयुक्त, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण " शब्द रखे जाएँगे । सन् २००५ का महा. ९ की धारा २६ में संशोधन।

१४. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २८ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जाएगी और १ अप्रैल २०११ से निविष्ट की गई है समझी जाएगी, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. ९ की धारा २८ क की निविष्टि।

" २८ क. इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान, यदि आयुक्त की यह राय है कि, बिक्री मूल्य के लिए किसी ब्यौहारी द्वारा प्रवेश किए गए कोई संव्यवहार जो विहित ब्यौहारियों के वर्ग के लिए उपयोगी वस्तु के लिए विहित उचित बाजार मूल्य से कम है इस प्रकार ऐसे विक्रय या क्रय पर देय हुए कर से न्यूनतम कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा तब आयुक्त, उक्त कार्यवाहियों में आदेश को पारित करते समय ऐसे संव्यवहार के उचित बाजार मूल्य के अनुसार कर दायित्व निर्धारित करेगा। "।

१५. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३१ की,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा ३१ में संशोधन।

(१) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जाएगी, अर्थात् :—

" (४) इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में १ अप्रैल २०१६ को या के पश्चात्, कटौती की गई और राज्य सरकार को भुगतान की गई कोई रकम या कोई राशि,—

(एक) नियोक्ता को उक्त आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा कर के भुगतान के रूप में दावा किया जा सकेगा, या

(दो) यदि उप-संविदाकार संबंधित संविदाकार के संबंध में प्रदान की गई है तो विहित रित्या, उप-संविदाकार को साख के रूप में अन्तरित की जा सकेगी।

मुख्य संविदाकार ऐसी रकम या राशि के साख का ऐसी अवधि जिसमें कर की कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उसे भुगतान के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करना है, का दावा करने के लिए पात्र होगा। उप-संविदाकार ऐसी अवधि या कोई पश्चात्वर्ती जिसमें मुख्य संविदाकार ने उसे ऐसी रकम का साख अन्तरित कर दिया है, ऐसी रकम की साख का दावा कर सकेगा ।";

(२) उप-धारा (७) के पश्चात्, निम्न उप-धारा विनिष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

" (८) स्त्रोत पर कर कटौती के लिए दायी प्रत्येक नियोक्ता, विक्रय कर कटौती लेखा संख्या के आबंटन के लिए विहित रित्या में आयुक्त को आवेदन करेगा। संख्या उसके द्वारा दायर किए जाने वाले दस्तावेजों, बयानों और विवरणियों में उल्लिखित की जाएँगी :

परंतु, यदि नियोक्ता इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है तो, उसे इस उप-धारा के अधीन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । " ;

(३) उप-धारा (९) में, " उक्त आपूर्ति के संबंध में ", शब्दों के पश्चात्, निम्न भाग जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

" और उप-संविदाकार को अन्तरित नहीं किया गया है। उसी प्रकार, उप-संविदाकार को जहाँ तक उसे कर अन्तरित किया गया है उस परिमाण तक उस पर खुद को कर का भुगतान करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। "।

(४) उप-धारा (९) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ जोड़ी जाएँगी, अर्थात् :—

" (१०) कोई नियोक्ता, जिसने इस धारा के उपबंधों के अधीन किसी अवधि में किसी रकम की कटौती की है या भुगतान किया है, तो वह उक्त अवधि के लिए ऐसे दिनांक से जैसा कि विहित किया जाए, विहित प्ररूप और रीत्या, विवरणी दायर करेगा।

(११) कोई नियोक्ता जो इस धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करता है उसमें कोई चूक या गलत विवरण का पता करता है तो वह उस वर्ष की समाप्ति से जिससे विवरणी संबंधित है, नौ महिनों की अवधि के अवसान पर या के पूर्व उक्त विवरणी के अंतर्गत आने वाली अवधि के संबंध में पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

(१२) जहाँ नियोक्ता उप-धारा (८) के अधीन यथा आवश्यक विक्रय कर कटौती लेखा संख्या के लिये आवेदन करने में विफल होता है, तब आयुक्त नियोक्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसपर शास्ति के मार्ग द्वारा नियोक्ता द्वारा कटौती योग्य कर की रकम की धनराशि, जिस अवधि के दौरान वह विक्रय कर कटौती लेखा संख्या प्राप्त करने में विकल हुआ था, के लिये अधिरोपित कर सकेगा।

(१३) जहाँ नियोक्ता उप-धारा (१०) के अधीन यथा उपबंधित विहित समय के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल हुआ, तो, आयुक्त उस पर, शास्ति के मार्ग द्वारा, पाँच हजार रुपये की धनराशि अधिरोपित कर सकेगा। "।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ५५ में संशोधन। अग्रिम विनिर्णय।

१६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ५५ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जाएगी, अर्थात् :—

" ५५(१) आवेदक, विहित किये गये प्रश्नों पर अग्रिम विनिर्णय के लिये, आयुक्त को आवेदन कर सकता है।

(२) इस धारा के अधीन, अग्रिम विनिर्णय चाहनेवाला आवेदक, विहित किये जा सके ऐसे प्ररुप में और ऐसी रित्या में, उप-धारा (१) में विहित किसी प्रश्न का विवरण देते हुये, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा है, आयुक्त को आवेदन कर सकता है।

(३) आयुक्त, अग्रिम विनिर्णयों को देने के लिये, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के तीन अधिकारियों को समाविष्ट कर एक अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण गठित करेगा । वह ऐसे अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को उप-धारा (१) के अधीन विहित किन्हीं प्रश्नों या, यथास्थिति, सभी प्रश्नों को सौंपेगा।

(४) आयुक्त, ऐसे अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को, धारा ५६ के अधीन और इस संशोधन के प्रभाव के दिनांक को प्रलंबित या, यथास्थिति, आवेदनों के किसी वर्ग के ऐसे आवेदन में किए गए किसी आवेदन या प्रश्न को भी सौंप सकता है ।

(५) आयुक्त या, यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, नियमों के अध्यधीन, आयुक्त द्वारा आवेदन की स्वीकृति के दिनांक से, नब्बे दिनों के भीतर, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अग्रिम विनिर्णय करेगा ।

(६) आवेदनकर्ता, आवेदन की प्रस्तुति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अपना आवेदन वापस ले सकेगा ।

(७) (क) कोई भी आवेदन, स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जहाँ आवेदन में आया प्रश्न,—

(एक) आवेदन के संबंध में, न्यायाधिकरण, बम्बई उच्च न्यायालय या, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले से लंबित है, या

(दो) संव्यवहार या वाद, जो कर के परिवर्जन के लिये प्रकट रूप से परिकल्पित किया गया है, से संबंधित है ।

(ख) आयुक्त या, यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, विहित रीत्या, संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट की माँग कर सकती है।

(ग) आवेदन की स्वीकृति के संबंध में संसूचना, आवेदन की प्रस्तुति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, आवेदनकर्ता को दी जाएगी ।

(घ) कोई भी आवेदन, इस उप-धारा के अधीन नामंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदनकर्ता को सुनवाई का अवसर नही दिया जाता तथा जहाँ आवेदन नामंजूर किया गया है, ऐसी नामंजूरी के कारणों को, आदेश में अभिलिखित किया जायेगा ।

(८) (क) आयुक्त का अग्रिम विनिर्णय, अपिलीय प्राधिकरण समेत सभी अधिकारियों पर या यथास्थिति, वैसे ही स्थित व्यक्तियों के संबंध में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा ।

(ख) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का समान रुप से स्थित ब्यौहारीयों के संबंध में अग्रिम विनिर्णय, अपीलिय प्राधिकारी समेत सभी अधिकारियों पर आयुक्त के अलावा, बाध्यकारी होगा ।

(९) आयुक्त या, यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण निदेश दे सकेगा कि, अग्रिम विनिर्णय, आवेदनकर्ता के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा या, यदि सामान्य रूप से स्थित किसी अन्य व्यक्ति की इस प्रकार समर्थित परिस्थितियाँ, अग्रिम विनिर्णय के पूर्व किन्हीं विक्रय या क्रय से यथा संबंधित प्रभावित होती है ।

(१०) अग्रिम विनिर्णय आदेश के विरूद्ध अपील, न्यायाधिकरण को की जायेगी तथा विहित निबंधनों के अध्यधीन होगी ।

(११) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई अपील, आवेदनकर्ता को अग्रिम विनिर्णय आदेश की संसूचना के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के पर्यावसान के दिनांक के पश्चात्, जिस किसी भी परिस्थितियों में ग्रहण नहीं होगी ।

(१२) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा पारित अग्रिम विनिर्णय आदेश, आयुक्त द्वारा धारा १० की उप-धारा (१०) के अधीन जारी, किन्हीं निदेशों या, यथास्थिति, अनुदेशों के अध्यधीन तथा धारा ५६ के अधीन आयुक्त द्वारा मंजूर कोई आदेश तब विद्यमान है ।

(१३) आयुक्त या, यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, स्वप्रेरणा के प्रस्ताव पर, अभिलेख से प्रकट किसी भूल का परिशोधन कर सकेगा तथा संबंधित अधिकारी द्वारा, इस प्रकार जारी आदेश के प्रभावी होने के पूर्व उसके द्वारा मंजूर किन्हीं आदेश को परिशोधन कर सकेगा । आवेदक उक्त आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर किन्ही ऐसी भूल को आयुक्त या, यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के ध्यान में भी ला सकेगा :

परंतु, जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई ऐसा परिशोधन नहीं किया जायेगा :

परंतु आगे यह कि, इस उप-धारा के अधीन कोई भी आदेश, आवेदक द्वारा अग्रिम विनिर्णय की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(१४) (क) आयुक्त, स्वयंप्रेरणा के प्रस्ताव से, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अग्रिम विनिर्णय के अभिलेख माँग सकेगा, ताकि चाहे उक्त विनिर्णय, राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला है या नहीं की जाँच कर सके । आयुक्त, विहित प्ररूप में, आवेदनकर्ता को सूचना तामिल किये द्वारा, ऐसा आदेश मंजूर कर सकेगा, जैसा कि वह न्यायसंगत तथा उचित समझें ।

(ख) आयुक्त, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के लिये, स्वयंप्रेरणा के प्रस्ताव पर, इस धारा के अधीन उसके द्वारा मंजूर अग्रिम विनिर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा ऐसा आदेश मंजूर कर सकेगा, जैसा कि वह न्यायसंगत तथा उचित समझें । तथापि, इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही शुरू करने के पूर्व, आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा । ऐसी अनुमति तब भी प्राप्त की जायेगी, जब अग्रिम विनिर्णय आदेश धारा ५६ के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेश के प्रतिकूल में बनाया जा रहा है ।

(ग) आयुक्त, निदेश दे सकेगा कि, पुनर्विलोकन का आदेश व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिसके मामले में, पुनर्विलोकन के पूर्व किसी विक्रय या क्रय के प्रभावित होने के संबंध में, पुनर्विलोकन किया गया है तथा इस प्रकार, यदि इस प्रकार समर्थिति परिस्थितियाँ, समान रूप से स्थित किसी व्यक्ति के संबंध में, तद्नुसार, निदेश कर सकेगा ।

(घ) कोई भी आदेश,—

(एक) खण्ड (क) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के दिनांक के अन्तर्विष्ट वर्ष के अंत से छह महीनों की अवधि पर्यवसित होने के पश्चात्, पारित नहीं किया जायेगा ;

(दो) खण्ड (ख) के अधीन महीने के अंत से, जिसमें खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही शुरू करने की अनुमति राज्य सरकार ने दी है, से तीन महीनों की अवधि के अवसान के पश्चात्, पारित नहीं किया जायेगा :

परंतु, इस उप-धारा के अधीन, कोई आदेश, जब तक कि आवेदनकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता तब तक पारित नहीं किया जायेगा।

(१५) अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया से संबंधित विनियम, आयुक्त द्वारा बनाये जायेंगे।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ५६ का अपमार्जन।

१७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ५६ अपमार्जित की जायेगी।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ७० में संशोधन।

१८. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ७० की, उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"(३) कोई व्यक्ति, जो इस धारा में यथा उपबंधित सूचना, विहित अवधि के भीतर देने में विफल होता है तो वह, शास्ति के रूप में, एक लाख रुपये से अनधिक धनराशि का दो महीनों की अवधि के लिये निरंतर चूक के मामले में, ऐसी निरंतरता के प्रत्येक दिन के लिये, एक हजार रुपयों की अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी होगा।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८८ में संशोधन।

१९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ८८ के खण्ड (क-१) में, "मेगा युनिट" शब्दों के पश्चात्, "तथा अल्ट्रा मेगा युनिट" शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८९ में संशोधन।

२०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ८९ की, उप-धारा (३) तथा (४) के स्थान में, निम्न उपधाराएँ, रखी जाएँगी, अर्थात् :—

"(३) उप-धारा (३क) में विनिर्दिष्ट, व्यौहारी द्वारा जारी बीजक, अर्हता प्रमाणपत्र द्वारा संवेष्टित घोषित मालों से अन्य के संबंध में, विहित घोषणापत्र से अन्तर्विष्ट होगा।

(३क) उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट निर्बन्ध, निम्न को लागू होंगे,—

(एक) विधिमान्य पहचान प्रमाणपत्र धारण करनेवाले मेगा युनिट या, यथास्थिति, अल्ट्रा मेगा युनिट ;

(दो) प्रोत्साहन पैकेज योजना, १९९३ के अधीन कर के भुगतान के विलम्बन के मार्ग द्वारा प्रोत्साहन उपलब्ध होनेवाले, हकदार प्रमाणपत्र धारण करनेवाला काफी बडा युनिट या, यथास्थिति, मेगा युनिट ;

(तीन) खण्ड (एक) तथा खण्ड (दो) में उल्लिखित, व्यौहारी द्वारा मूल रूप से विनिर्मित, माल खरीदने वाले शीघ्र खरीददार या, यथास्थिति, पश्चात्वर्ती खरीददार।

(४) जहाँ, उप-धारा (३क) में उल्लिखित व्यौहारी उसे लागू होनेवाले, विहित घोषणापत्र निर्गमित करने में विफल होता है तो, आयुक्त, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा उसपर, उसके द्वारा देय किन्हीं कर के अतिरिक्त में, उक्त बीजक में अन्तर्विष्ट कर के समान रकम की शास्ति अधिरोपित करेगा।"।

अध्याय सात

महाराष्ट्र लॉटरी पर कर अधिनियम, २००६ में संशोधन।

सन् २००६ का महा. ४३।

२१. महाराष्ट्र लॉटरी पर कर अधिनयम, २००६ की धारा ३ की, उप-धारा (१) की, तालिका में,— सन् २००६ का महा. ४३ की धारा ३ में संशोधन।

(क) प्रविष्टि १ के, स्तंभ (३) में, "६०,०००" अंकों के स्थान में, "७०,०००" अंक रखे जायेंगे ;

(ख) प्रविष्टि २ के, स्तंभ (३) में, "१,२५,०००" अंकों के स्थान में "१,५०,०००" अंक रखे जायेंगे ;

(ग) प्रविष्टि ३ के, स्तंभ (३) में, "२,५०,०००" अंकों के स्थान में, "३,५०,०००" अंक रखे जायेंगे ;

(घ) प्रविष्टि ४ के, स्तंभ (३) में, "१२,००,०००" अंकों के स्थान में, "१४,००,०००" अंक रखे जायेंगे।

अध्याय आठ

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

२२. (१) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, "मूल्यवर्धित कर अधिनियम" कहा गया है) के उपबन्धों के अधीन, किसी व्यौहारी या व्यक्ति द्वारा किये गये विक्रय या क्रय सम्बन्ध में कर के निर्धारण, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण या संग्रहण या ऐसे निर्धारण, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण या संग्रहण के सम्बन्ध में की गई कोई कार्यवाही या की गई बात उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेगी मानों की ऐसा निर्धारण, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण या संग्रहण या कार्यवाही या बात संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन सम्यक्तया की गयी, ली गई या की गई है, और तद्नुसार,— सन् २००५ का महा. ९। सन् २००५ का महा. ९।

(क) ऐसे किसी कर के निर्धारण, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण या संग्रहण के सम्बन्ध में, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कृत या किये गये समस्त कार्य, कार्यवाहियाँ और बातें, समस्त प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार कृत या की गई समझी जायेगी और सदैव कृत या की जायेगी ;

(ख) इस प्रकार अदा किये गए किसी कर के प्रतिदाय के लिये, किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाई रखी या जारी रखी नहीं जायेंगी ; और

(ग) कोई भी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, ऐसे किसी कर के प्रतिदाय का निदेश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश लागू नहीं करेगा।

(२) संदेहों का निराकरण करने के लिये, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उप-धारा (१) की कोई बात,—

(क) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट कर के किसी निर्धारण, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण या संग्रहण को संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल्यवर्धित कर अधिनियम, के उपबंधों के अनुसरण में प्रश्नगत करने से, या

(ख) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन कर के ज़रिए उससे देय राशि से अधिक उसके द्वारा अदा किये गये किसी कर के प्रतिदाय का दावा करने से, किसी व्यक्ति को रोके हुए नहीं समझी जायेगी।

(३) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम की कोई बात, संशोधन के प्रारम्भण के पूर्व, उसके द्वारा कृत या करने से विलृप्त किसी बात के संबंध में, किसी व्यक्ति को, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये जाने का दायी नहीं बनायेगी, यदि ऐसा या, कार्य लोप मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन अपराध नहीं था, किन्तु संशोधन अधिनियम द्वारा किये गये संशोधनों के लिए अपराध हुआ है ; और न ही ऐसे कृत्य या लोप के संबंध में, कोई व्यक्ति, संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उस पर लगाई जा सकनेवाली शास्ति से अधिक शास्ति के अध्यधीन होगा।

(४) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ५६ के अपमार्जन के होते हुये भी, उक्त धारा के उपबंध तथा तद्धीन बनाये गये नियम, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, जहाँ तक कि वे लागू हो, निरंतर प्रभावी होंगे,–

(क) संशोधन अधिनियम की धारा १७ के प्रभावी होने के दिनांक (जिसे इसमें आगे, " उक्त दिनांक " कहा गया है) के पूर्व विलंबित आवेदनों को वह लागू होंगी,

(ख) कार्यवाहियाँ, उक्त दिनांक से पूर्व पूरी की गई है, तथा

(ग) कार्यवाहियाँ, जो उक्त दिनांक के पश्चात् प्रारंभ की जा सकेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2016.

THE MAHARASHTRA SETTLEMENT OF ARREARS IN DISPUTES ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ अप्रैल २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
सचिव, एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2016.

AN ACT TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF ARREARS IN DISPUTE UNDER VARIOUS ACTS ADMININSTERED BY THE SALES TAX DEPARTMENT AND THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २६ अप्रैल २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

विक्रय कर विभाग द्वारा प्रशासनित विभिन्न अधिनियमों के अधीन विवादग्रस्त बकायों के समझौते के लिये तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों संबंधी अधिनियम ।

सन् १९५८ बंम्बई ६६। सन् १९५९ का बंम्बई ५१। सन् १९८५ महा. १८। सन् १९८९ का महा. ३६। सन् १९५६ का ७४। सन् १९६२ का महा. ९। सन् १९७५ का महा. १६। सन् १९८७ का महा. ४२।

क्योंकि बम्बई मोटर स्पिरिट कराधान अधिनियम, १९५८ (अब निरसित), बम्बई विक्रय कर अधिनियम, १९५९ (अब निरसित), महाराष्ट्र किन्हीं मालों का किन्हीं प्रयोजनों के लिये उपयोग के अधिकार के अंतरण पर विक्रय कर अधिनियम, १९८५ (तब से निरसित), महाराष्ट्र कार्य-संविदा के कार्यान्वयन में अंतर्ग्रस्त मालों में की संपत्ति के अंतरण पर विक्रय कर अधिनियम, १९८९ (तब से निरसित) (पुनः अधिनियमित), केंन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६, महाराष्ट्र गन्ने पर क्रय कर अधिनियम, १९६२, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा रोजगार पर कर अधिनियम, १९७५, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र सुखसाधन सेवाओं पर कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ तथा महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ के अधीन विवादग्रस्त बकायों के समझौते के लिये उपबंध करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

सन् १९८७ का ४२।
सन् १९८७ का महा. ४१।
सन् २००३ का महा. ४।
सन् २००५ का महा. ९।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभण।

१. (१) यह, महाराष्ट्र विवादग्रस्त बकायों का समझौता अधिनियम, २०१६ कहलाये।

(२) यह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित होगा।

(३) यह **राजपत्र** में प्रकाशन के दिनांक पर प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ।

२. (१) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(१) " अपिलीय प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ८ में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों से हैं ;

(२) " विवादग्रस्त बकायों " में,—

(एक) सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, चाहे किसी भी नाम द्वारा पुकारा जाये ;

(दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन, आवेदनकर्ता द्वारा देय ब्याज ;

(तीन) ३१ मार्च २०१२ पर या के पूर्व समाप्त होनेवाली किसी अवधि से संबंधित किन्हीं कानूनी आदेश, जिसके विरूद्ध अपील दर्ज की गई है और सुसंगत अधिनियम या, यथास्थिति, न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा, ३० सितंबर २०१६ के बाद न हो, ऐसे अपिलीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः या अंशतः रोक मंजूर की गयी है, के संबंध में, सुसंगत अधिनियम के अधीन आवेदनकर्ता पर अधिरोपित शास्ति, का समावेश होगा ;

(३) " आवेदनकर्ता " का तात्पर्य, व्यक्ति, जो सुसंगत अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने का दायी है तथा साथ ही कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन निबंधनों के अनुसरण द्वारा समझौते का लाभ उठाना चाहता है, से है ;

(४) " समझौता का आदेश " का तात्पर्य, सुसंगत अधिनियम के अधीन, विवादग्रस्त बकायों के समझौते के लिये, इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेश, से है ;

(५) " आयुक्त " का तात्पर्य, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की धारा १० की उप-धारा (१) के अधीन, विक्रय क्रय आयुक्त के रूप में नियुक्त अधिकारी, से है ; सन् २००५ का महा. ९।

(६) " पदाभिहित प्राधिकारी " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (२) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, से है ;

(७) " सुसंगत अधिनियम " का तात्पर्य,—

(क) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ ; सन् १९५६ का ७४।

(ख) बम्बई मोटर स्पिरिट कराधान अधिनियम, १९५८ ; सन् १९५८ का बम्बई ६५।

सन् १९५९ का बम्बई ५१।

(ग) बम्बई विक्रय कर अधिनियम, १९५९ ;

सन् १९६२ का महा. ९।

(घ) महाराष्ट्र गन्ने पर क्रय कर अधिनियम, १९६२ ;

सन् १९७५ का महा. १६।

(ङ) महाराष्ट्र वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा रोजगार अधिनियम, १९७५ ;

सन् १९८५ का महा. १८।

(च) महाराष्ट्र किन्हीं मालों का किन्हीं प्रयोजनों के लिये उपयोग अधिकार का अंतरण अधिनियम, १९८५ ;

सन् १९८७ का महा. ४२।

(छ) महाराष्ट्र स्थानिय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९८७ ;

सन् १९८७ का ४१।

(ज) महाराष्ट्र सुखसाधन पर कर अधिनियम, १९८७ ;

सन् १९८९ का महा. ३६।

(झ) महाराष्ट्र संकर्म संविदा के निष्पादन में शामिल मालों में सम्पति के अन्तरण पर विक्रय कर (पुन:अधिनियमिति) अधिनियम, १९८९ ;

सन् २००३ का महा. ४।

(ञ) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ ;

सन् २००५ का महा. ९।

(ट) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२, और जिसमें तद्धीन बनाये गये नियमों या जारी अधिसूचनाएँ शामिल होगी ;

(८) " आवश्यक राशि " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ६ के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अदा की जानेवाली आवश्यक राशि से है ;

(९) " कानूनी आदेश " का तात्पर्य, आवेदक द्वारा देय कर, ब्याज या शास्ति की वसुली के लिये सुसंगत अधिनियम, के अधीन पारित किसी आदेश से है।

(२) इस अधिनियम में उपयोगी परन्तु उसमें परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ सुंसंगत अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित अर्थ से होगा ।

पदाभिहित प्राधिकारी।

३. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विक्रय कर आयुक्त की इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के रूप में, एतद्द्वारा, नियुक्ति करेगी।

सन् २००५ का महा. ९।

(२) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की धारा १० की, उप-धारा (२) में उल्लिखित अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पदाभिहित प्राधिकारी होगा। उक्त अधिकारियों के अधीनस्थ महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ के नियम ५ के अनुसार होगा।

(३) आयुक्त, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (२) में यथा विनिर्दिष्ट पदाभिहित प्राधिकारी को ऐसी शक्तियाँ प्रत्योयाजित कर सकेगा और ऐसे प्राधिकारी उनकी अधिकारिता के भीतर समय-समय से अधिसूचित किया जाए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

समझौता के लिए शर्तें।

४. (१) आवेदक जो विवाद में बकायों के निपाटन के लिए इच्छूक है तो इस अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (१) या (२) के अनुसार आवश्यक रकम की अदायगी की सबूत के साथ ऐसे प्ररुप और रीत्या ३० सितम्बर २०१६ तक पदाभिहित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(२) प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रत्येक सांविधिक आदेश के लिये किसी आवेदक द्वारा एक अलग आवेदन किया जायेगा।

(३) आवेदक, धारा ५ के अनुसार, यदि कोई हो, अपील के प्रत्याहरण के सबूत तैयार कर सकेगा।

(४) आवेदक जिसके लिये अधित्याग चाहा गया है कानूनी ओदश के संबंध में सुसंगत अधिनियम के अधीन अविवादित बकायों की संपूर्ण राशि अदा करेगा।

अपील का वापस लेना।

५. विवादित बकायों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जिस आवेदक को अधित्याग का लाभ लेने के लिए इच्छूक है तो ३० सितम्बर २०१६ को या के पूर्व न्यायालय के समक्ष अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकरण के समक्ष लम्बित अपील वापस लेगा :

परन्तु, अपील में प्रस्तुत किये गये कुछ मद्दों के विवाद में बकायों के समझौते के विकल्प के लिये आवेदक इच्छूक है तब वह ऐसे मद्दों के संबंध में अपील वापस करेगा।

आवश्यक रकम और अधित्याग की सीमा का अवधारण।

६. (१) सुसंगत अधिनियम के अधीन ३१ मार्च २००५ या के पूर्व समाप्त होनेवाली किसी निर्धारण अवधि से संबंधित विवाद में बकाया है तब अधित्याग की सीमा यथा निम्न सारणी के स्तंभ (२) में यथा विनिर्दिष्ट देय अपेक्षित राशि के अधिक में होगी :—

तालिका-१

बकाया का प्रकार (१)	अधित्याग की शर्तें (२)	अधित्याग की सीमा (३)
इस अधिनियम की धारा ५ से संबंधित विवादों में बकाया।	(एक) आवेदक इस धारा की उप-धारा (४) द्वारा किये गये भाग अदायगी द्वारा से घटाने के पश्चात् विवादों के बकायों में से संपूर्ण कर की राशि अदा करेगा।	(क) धारा ५ में यथा उपबंधित वापस लिये गये मद्दों से संबंधित विवादों के बकायों में से ब्याज और शास्ति की कुल राशि।
	(दो) किसी मामले में, अपील वापस लिया गया हो तो आवेदक जिन मद्दों के लिये आवेदन वापस लिया है ऐसे मद्दों के बारे में संपूर्ण कर की राशि अदा करेगा और इस धारा की उप-धारा (४) द्वारा किये गये भाग अदायगी की जमा राशि अपील में वापस लिये गये मद्दों में शामिल कर के अनुपात में दिया जायेगा।	(ख) स्तंभ (२) के अनुसार किए गये कर के अदायगी के दिनांक तक उपगत पूर्व-निर्धारण शास्ति और ब्याज की कुल राशि और धारा ५ में यथा उपबंधित वापस लिये गये मद्दों से संबंधित इस धारा की उप-धारा (४) के अधीन विचारार्थ कर की अदायगी पर ऐसी शास्ति और ब्याज की संपूर्ण राशि।

(२) सुसंगत अधिनियम के अधीन १ अप्रैल २००५ को या पश्चात्, और ३१ मार्च २०१२ तक समाप्त होनेवाली किसी निर्धारण अवधि से संबंधित विवाद में बकाया हो तब अधित्याग की सीमा यथा निम्न तालिका के स्तंभ (२) में यथा विनिर्दिष्ट देय अपेक्षित राशि के अधिक में होगी :—

तालिका-२

बकाया का प्रकार (१)	अधित्याग की शर्तें (२)	अधित्याग की सीमा (३)
इस अधिनियम की धारा ५ से संबंधित विवादों में बकाया।	(एक) आवेदक इस धारा की उप-धारा (४) द्वारा किये गये भाग अदायगी द्वारा उसे घटाने के पश्चात् विवादों के बकायों में से संपूर्ण कर की राशि और अप्राप्त ब्याज के पच्चीस प्रतिशत अदा की जायेगी।	(क) धारा ५ में यथा उपबंधित वापस लिये गये मुद्दों से संबंधित विवादों के बकायों में से ब्याज की शेष राशि, और शास्ति की संपूर्ण राशि।
	(दो) यदि, अपील को कुछ मामलों के लिए वापस ले लिया जाता है तब आवेदक अपील में वापस लिए गये मामलों से संबंधित विवादों में कर की पूरी राशि तथा बकाया राशि के बाहर बकाया ब्याज का पच्चीस प्रतिशत अदा करेगा और इस धारा की उप-धारा (४) के अंतर्गत आने वाले आंशिक भुगतान के ऋण अपील में वापस ली गई मामलों में अंतर्ग्रस्त कर की आनुपातिक राशि में दी जायेगी।	(ख) स्तंभ (२) के अनुसार किए गये कर की अदायगी के दिनांक तक प्रोद्भूत और धारा ५ में यथा उपबंधित रूप में वापस लिये गये मामलों के अनुकूल होने वाले इस धारा की उप-धारा (४) के अधीन माने गए कर की अदायगी पर निर्धारणोत्तर ब्याजकी कुल रकम तथा शास्ति।

(३) इस धारा की उप-धाराएँ (१) और (२) के अधीन अपेक्षित रकम की अदायगी संबद्ध अधिनियम के अधीन विहित चालान के प्रारूप में या, यथास्थिति, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ के अधीन विहित एमटीआर-६ के प्रारूप में की जाएगी।

(४) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत अधिनियम के अधीन, अपील में किया गया आंशिक भुगतान अपीलीय प्राधिकरण, न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित रकम की अदायगी के लिए विचार किया जाएगा, और यह पहली बार कर के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा और तत्पश्चात्, ब्याज की रकम तथा अधिशेष रकम के विषय में असमायोजित शेष हैं तब शास्ति के विषय में समायोजित की जाएगी।

(५) इस धारा के अनुसार अधित्यजन का परिमाण इस धारा की उप-धाराएँ (१) और (२) के अधीन आवेदक द्वारा की गई अदायगी के अनुपात में दिया जाएगा।

आवेदन का निपटान।

७. (१) पदाभिहित प्राधिकरण, अपूर्ण य गलत आवेदन के लिए त्रुटी सूचना जारी कर सकता है। आवेदक सूचना की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर, यदि कोई हो, त्रुटीयों को सुधारेगा और भुगतान करेगा और तद्नुसार, पदाभिहित प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदक ऐसा करने के लिए असफल रहता है तब पदाभिहित प्राधिकरण लिखित में कारणों को अभिलिखित किए जाने के लिए और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा विवाद में बकाया के समझौते के लिए आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।

(२) पदाभिहित प्राधिकरण, अपील के प्रत्याहरण के सबूत अपेक्षित रकम की अदायगी के साथ आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान होने पर कि अधित्यजन के लिए सारी शर्ते पूरी की है विवादों में बकायों के समझौते के लिए प्रत्येक आवेदन के लिए आदेश पारित करेगा।

(३) सुसंगत अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आवेदक सुसंगत अधिनियम के अधीन विवाद में ऐसे बकायों की राशि की अदायगी करने के लिए अपने दायित्व से निर्वहन करेगा जिसके लिए समझौता आदेश पारित किया गया है।

(४) पदाभिहित प्राधिकरण, स्व-प्रेरणा से या आवेदक के आवेदन पर इस धारा की उप-धारा (२) के अधीन आवेदक द्वारा आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अभिलेख में प्रकट होनेवाली किसी भी त्रुटि को सुधार सकेगी :

परंतु, आवेदनकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला ऐसा कोई आदेश, आवेदनकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना मंजूर नहीं होगा।

अपील। **८.** धारा ७ की उप-धारा (१) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील,—

(क) उपायुक्त, यदि उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा आदेश मंजूर किया गया हो,—

(ख) अतिरिक्त आयुक्त, यदि आदेश उपायुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा मंजूर किया गया हो, की जायेगी।

(२) आवेदनकर्ता धारा ७ की उप-धारा (१) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दर्ज कर सकेगा।

(३) कोई अपील, धारा ७ की उप-धारा (२) के अधीन पारित समझौते के आदेश के विरुद्ध नहीं की जायेगी।

इस अधिनियम के अधीन प्रतिदेय नहीं होगा। **९.** किन्हीं परिस्थितियों के अधीन, अवेदनकर्ता, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक के पूर्व भुगतान किये गये विवादग्रस्त बकायों की कोई रकम तथा इस अधिनियम के अधीन भुगतान की गई रकम के प्रतिदेय के लिये हकदार नहीं होगा।

समझौते के आदेश का प्रतिसंहरण। **१०.** धारा ७ में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ भी पदाभिहित अधिकारी को लगता है कि, आवेदक ने कोई भी महत्त्वपूर्ण जानकारी छुपाकर रखी है या कोई भी गलत या झूटी जानकारी प्रस्तुत कर समझौते का लाभ प्राप्त किया है, ऐसा निदर्शन में आने पर या सुसंगत अधिनियम के अधीन जाँच या कुर्की के संबंध में की किसी भी कार्यवाही में महत्त्वपूर्ण तथ्य को छुपाकर रखा है, ध्यान में आने पर, पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, धारा ७ की उप-धारा (२) के अधीन जारी किया गया समझौता का आदेश प्रत्याहृत कर सकेगा।

पुनरीक्षण। **११.** पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के पश्चात्, आयुक्त, उसके स्व-विवेक के अनुसार, किसी भी समय, आदेश तामिल करने के दिनांक से बारह महिने के भीतर, ऐसे आदेश के अभिलेख मँगा सकेगा और ऐसे आदेश में गलती पायी जाने के पश्चात्, जब तक यह राजस्व के हित को बाधा न डाले तब तक, व्यौहारी को सूचना तामिल कर सकेगा और उसके सर्वोत्तम विवेकबुद्धी से, जहाँ आवश्यक हो, आदेश पारित कर सकेगा।

इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्तियाँ। **१२.** (१) आयुक्त, समय-समय से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पदाभिहित प्राधिकारियों को, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकेगा।

(२) आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, आदेश द्वारा, प्ररुप का विशेष विवरण दे सकेगा।

१३. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, चाहे एक सत्र में हो या दो या इससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, को मिलाकर हो, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन किसी नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम नहीं बनाया जाए, और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते है तो नियम **राजपत्र** में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसा विनिश्चय ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या करने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2016.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ अप्रैल, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्र. हिं. माळी,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २९ अप्रैल २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राज्यस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९६६ का महा. ४१।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १९६६ का महा. ४१ में धारा २९क की निविष्टि। **२.** महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा २९ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१।

कतिपय सरकारी भूमियों के अधिभोग का रुपांतरण। " **२९क.** धारा २०, ३१, ३५ तथा ३८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हूए भी, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषिभूमि अधिनियम, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषिभूमि अधिनियम, १९५०, महाराष्ट्र परगणा तथा कुलकर्णी वतन (उत्सादन) अधिनियम, महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिये उपयोगी) उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र इनाम और नगर अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ महाराष्ट्र विलयित राज्यक्षेत्र विविध हस्तांतरण उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम/वतन उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) अधिनियम, १९६२, में परंतु जैसा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित विहित सक्षम राजस्व प्राधिकारी वर्ग-दो अधिभोगी पर या पट्टाभूमि अधिकारों पर, सरकार द्वारा अनुदत्त भूमि के अलग-अलग प्रवर्गों के संबंध में, जैसा कि सन् १९४८ का ६७। सन् १९५० का हैद्रा. अधिनियम क्र. २१। सन् १९५० का ६०। सन् १९५३ का ७०।

सन् १९५५ का हैद्रा. अधिनियम क्र. ८। सन् १९५५ का २२। सन् १९५८ का ९९। सन् १९५९ का १। सन् १९६१ का महा. २७। सन् १९६२ का महा. ३५।

विहित किया जाए, वर्ग-दो अधिभोगी पर या पट्टा भूमि अधिकारों पर अनुदत्त भूमि के ऐसे प्रवर्ग के अधिभोग के संबंधी किसी भूमि का रुपांतरण, ऐसे रुपांतरण अधिमूल्य के अदायगी पर और ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाने के पश्चात् और जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, और भूमियों के अलग-अलग प्रवर्गों के लिये अधिभोग रुपांतरण वर्ग-एक में कर सकेगी।".

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2016.

THE MAHARASHTRA STAMP (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ अप्रैल २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्र. हिं. माळी,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २९ अप्रैल २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; **इसलिए**, भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :- सन् १९५८ का ६०।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाये ।

सन् १९५८ का महा. ६० की धारा ७० में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७० की, उप-धारा (२), अपमार्जित की जायेगी। सन् १९५८ का ६०।

सन् १९५८ का महा. ६० की अनुसूची एक में संशोधन । **३.** मूल अधिनियम की **अनुसूची एक** के अनुच्छेद १ के, खंड (१) में,-

(एक) उप-खंड (ग) के, स्तंभ (१) में, " और " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) उप-खंड (घ) के स्थान में, निम्न उप-खंड, रखे जायेंगे, अर्थात् :-

" (घ) १०,००० रुपयों से अधिक किंतु, १०,००,००० रुपयों से कम हो ; तथा	पचास रुपये।
(ड़) १०,००,००० रुपये और से अधिक ।	सौ रुपये।"।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2016.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ मई २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्र. हिं. माळी,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ७ मई २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का ४०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन १८८८ का ३ की धारा १६ में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १६ की, उप-धारा (१) के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १८८८ का ३।

" (ज) वह, निम्न प्रमाणित करनेवाला सहायक आयुक्त द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र निगम को प्रस्तुत करने में विफल हुआ हो तो,—

(एक) वह, उसके द्वारा स्वामित्व के आवास में रहता है और ऐसे आवास में एक शौचालय है और वह नियमित रुप से ऐसे शौचालय का उपयोग करता है ; या

(दो) वह, उसके द्वारा स्वामित्व न होनेवाले आवास में रहता है और ऐसे आवास में एक शौचालय है और वह उसका उपयोग नियमित रुप से करता है या उसके पास ऐसा शौचालय नहीं हैं किंतु नियमित रुप से सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करता हैं :

परंतु, कोई भी पार्षद, महाराष्ट्र नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर परिषद तथा नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारम्भण के दिनांक पर, यदि वह ऐसे प्रमाणपत्र, ऐसे प्रारम्भण के दिनांक से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करता है, तो इस खण्ड के अधीन, निरर्ह नहीं होगा : सन् २०१६ का महा. १९।

परंतु आगे यह कि, यदि सहायक आयुक्त, आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे आवेदन के संबंध में विनिर्णय लेने में विफल होता है, तब आवेदन मंजूर किया गया समझा जायेगा और सहायक आयुक्त तद्नुसार, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा। "।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन १९४९ का ५९ की धारा १० में संशोधन।

३. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (१) के खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्न खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

" (ट) वह, निम्न प्रमाणित करनेवाला प्रभाग अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र निगम को प्रस्तुत करने में विफल हुआ हो तो,—

(एक) वह, उसके द्वारा स्वामित्व के आवास में रहता है और ऐसे आवास में एक शौचालय है और वह नियमित रुप से ऐसे शौचालय का उपयोग करता है ; या

(दो) वह, उसके द्वारा स्वामित्व न होनेवाले आवास में रहता है और ऐसे आवास में एक शौचालय है और वह उसका उपयोग नियमित रुप से करता है या उसके पास ऐसा शौचालय नहीं हैं किंतु नियमित रुप से सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करता हैं :

परंतु, महाराष्ट्र नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर परिषद तथा नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारम्भण के दिनांक पर, कोई भी पार्षद, यदि वह, ऐसे प्रमाणपत्र, ऐसे प्रारम्भण के दिनांक से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करता है, तो इस खण्ड के अधीन, निरर्ह नहीं होगा : सन् २०१६ का महा. १९।

परंतु आगे यह कि, यदि प्रभाग अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे आवेदन के संबंध में विनिर्णय लेने में विफल होता है, तब आवेदन मंजूर किया गया समझा जायेगा और प्रभाग अधिकारी तद्नुसार, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा। "।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन

सन् १९६५ का महा. ४०।

४. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्न खण्ड जोडा जायेगा, अर्थात् :— सन १९६५ का महा. ४० की धारा १६ में संशोधन।

" (ड) वह, निम्न प्रमाणित करनेवाला प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र निगम को प्रस्तुत करने में विफल हुआ हो तो,—

(एक) वह, उसके द्वारा स्वामित्व के आवास में रहता है और ऐसे आवास में एक शौचालय है और वह नियमित रुप से ऐसे शौचालय का उपयोग करता है ; या

(दो) वह, उसके द्वारा स्वामित्व न होनेवाले आवास में रहता है और ऐसे आवास में एक शौचालय है और वह, उसका उपयोग नियमित रुप से करता है या उसके पास ऐसा शौचालय नहीं हैं किंतु नियमित रुप से सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करता हैं :

सन् २०१६ का महा. १९।

परंतु, कोई भी पार्षद, महाराष्ट्र नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर परिषद तथा नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारम्भण के दिनांक पर, यदि वह ऐसे प्रमाणपत्र, ऐसे प्रारम्भण के दिनांक से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करता है, तो इस खण्ड के अधीन, निरर्ह नहीं होगा :

परंतु आगे यह कि, यदि प्राधिकृत अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे आवेदन के संबंध में विनिर्णय लेने में विफल होता है, तब आवेदन मंजूर किया गया समझा जायेगा और प्राधिकृत अधिकारी, तद्नुसार, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा। "।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.